उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-54/2018/783/92-2-2018-17जॉच/2018

लखनऊ :: दिनांक:: 05 अप्रैल,2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2016-17 में कतिपय वाहन क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति धनराशि मु0 रू0 27,00,000.00 (रू0 सत्ताइस लाख मात्र) को ससमय आहरित कर व्यय न किये जाने के कारण उक्त धनराशि लैप्स हो जाने की अनियमितता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अशोक कुमार, तत्का0 आहरण वितरण अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय, लखनऊ सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय, लखनऊ को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच-आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-54/2018/783(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता,ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0,लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-269/ग्रा0अ0वि0/बजट/वा0क्र0/17-18 दि0 21-02-18 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री अशोक कुमार, तत्का0 आहरण वितरण अधिकारी,ग्रा0अभि0वि0,मुख्यालय,सम्प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्व आरोपपत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जांच अधिकारी/ वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, ग्रा0 अभि0 विभाग, मुख्यालय, लखनऊ।

3- श्री अशोक कुमार, तत्का0 अधि0अभि0 एवं आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय, ग्रा0अभि0 वि0, लखनऊ सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-श्रावस्ती द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in